न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 114/2019
GCMS NO. : 2019/00111

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. चैनाराम पुत्र जयराम जाति माली निवासी बलुन्दा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.20/06/2019

उपस्थितः– 1. श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता वादी।
2. पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 26/07/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलुन्दा, पटवार हल्का बलुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक आ.कालू तहसील जैतारण में वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 319 रकबा 82–15 बीघा, खसरा संख्या 711, 712, 714, 715, 716 कुल खसरा 5 रकबा 21–14 एवं खसरा संख्या 428, 472, 2105, 2127 कुल खसरा 4 कुल रकबा 29–15 बीघा एवं खसरा संख्या 310, 318 कुल खसरा 2 कुल रकबा 08–11 बीघा की आई हुई है जिसकी नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की प्रमाणित फोटो प्रति दावे के साथ पेश किए जा रहे है जिसे दावे का एक भाग माना जावे। उपरोक्त खसरा नम्बरान् की भूमि वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। जिसमें वादी का घर का बोल चाल का नाम रामचन्द्र राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया था जो वादी का घर का नाम रामचन्द्र पुत्र जयराम जाति माली दर्ज है। जो कि एक रॉन्ग एन्ट्री है। वादी का नाम रिकॉर्ड में चैनाराम पुत्र जयराम जाति माली दर्ज है। जिस बाबत् आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, राजस्थान सरकार का परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी की फोटो प्रति दावे के साथ पेश की जा रही है। जिसे दावे का एक भाग माना जावे। वादी का सही नाम चैनाराम ही है जो सभी दस्तावेजात से स्पष्ट है। दिनांक 12.06.2019 को पटवारी हल्का बलुन्दा को नाम दुरूस्ती बाबत् निवेदन किया, लेकिन पटवारी हल्का ने मना कर दिया व कहा कि एसडीएम कोर्ट से आदेश लेकर आओ। उसके बाद ... को श्रीमानजी के न्यायालय में घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश ... और कोई विकल्प शेष नही होने के कारण से यह वाद प्रस्तुत किया ... प्रतिवादी राजस्थान सरकार के कर्मवारी व अधिकारी है इनके विरूद्ध दावा करने ... पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का होने से यह वाद बिना नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा है न्यायालय की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:12 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। बिनाय दावा दिनांक 12.06.2019 को प्रतिवादी द्वारा नाम में संशोधन करने अर्थात् रामचन्द्र पुत्र जयराम माली के स्थान पर चैनाराम पुत्र जयराम माली करने से मना करने पर बमुकाम जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण की ओर बिन्दूवार जवाबदावा पेश किया गया, जो सा.मि. है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने प्रस्तुत जवाबदावा में कथन किया कि बिन्दू संख्या 1 वादपत्र का यह पैरा राजस्व रेकर्ड से संबंधित है। बिन्दू संख्या 2 में वादी ग्राम बलुन्दा के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रामचन्द्र पुत्र जयराम के स्थान पर चैनाराम पुत्र जयराम दर्ज कराना चाहता है जिसे साक्ष्य सबूतो के आधार पर सिद्ध करने का भार वादी पर है। बिन्दु संख्या 3 में वादपत्र का यह पैरा अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 4 से 7 कानूनी बिन्दु है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 319 रकबा 82-15 बीघा, खसरा संख्या 711, 712, 714, 715, 716 कुल खसरा 5 रकबा 21-14 एवं खसरा संख्या 428, 472, 2105, 2127 कुल खसरा 4 कुल रकबा 29-15 बीघा एवं खसरा संख्या 310, 318 कुल खसरा 2 कुल रकबा 08-11 बीघा में वादी सहखातेदार दर्ज है, लेकिन भू अभिलेख में वादी का त्रुटिपूर्ण नाम रामचन्द्र पुत्र जयराम सहवन से दर्ज हो गया, जो वर्तमान में भी जारी है, वादी का सही एवं वास्तविक नाम चेनाराम पुत्र जयाराम, जाति माली है। अतः वादी जरिये घोषणात्मक डिक्री भू-अभिलेख में अपना सही एवं वास्तविक नाम दर्ज करवानें के अधिकारी हैं।

2. तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि वादी वादपत्र को स्वयं सिद्ध करें।

3. वादी चैनाराम पुत्र जयाराम जाति माली निवासी बलून्दा द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 पेश कर शपथ पत्र पर यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी उनकी पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। जिसमें वादी का नाम घर का बोलचाल का नाम रामचन्द्र पुत्र जयराम राजस्व रेकर्ड में तत्कालिन राजस्व कार्मिकों द्वारा दर्ज कर दिया गया जो कि एक रोन्ग एन्ट्री है तथा वादी का सही एवं वास्तविक नाम चैनाराम पुत्र जयराम जाति माली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:12 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रदर्श-1 से प्रदर्श- 4 ग्राम बलून्दा वर्ष 2013-2076, खसरा संख्या 319, 711, 712, 714, 715, 716, 428, 472, 2105, 2127, 310, 318 में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र जयराम जाति माली दर्ज है।प्रदर्श-5ए वादी चैनाराम का आधार कार्ड, प्रदर्श-6ए वादी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श-7ए परिवार भामाशाह कार्ड, प्रदर्श- 8ए वादी चैनाराम की

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बैंक खाता पासबुक, प्रदर्श– 10ए वादी का परिवार राशनकार्ड इत्यादि में वादी का नाम चैनाराम पुत्र जयराम जाति माली अंकित है। उपर्युक्त दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता है कि वादी चैनाराम द्वारा प्रस्तुत एवं प्रदर्श समस्त दस्तावेजात् चैनाराम पुत्र जयराम जाति माली से सम्बन्धित है लेकिन एक भी कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह साबित होता हो कि चैनाराम एवं रामचन्द्र वस्तुतः एक ही व्यक्ति हो तथा जिसका सही एवं वास्तविक नाम चैनाराम हो तथा जयराम के रामचन्द्र नाम का कोई अन्य पुत्र नहीं हो। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में उल्लेखित वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 319 की जमाबन्दी में खातेदार रामचन्द्र पुत्र जयराम के नाम बैंक रहन दर्ज है। इससे यह भी साबित होता है कि रामचन्द्र द्वारा ही बैंक को ऋण के लिये आवेदन किया गया था जिसे बाद जांच बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया गया। यदि रामचन्द्र पुत्र जयराम के नाम की प्रविष्टि गलत है जैसा की वादी का दावा है तो रामचन्द्र के नाम से ऋण हेतु आवेदन कैसे किया जा सकता है तथा बैंक द्वारा ऐसे आवेदन पर ऋण स्वीकृत भी कैसे किया जा सकता है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टि रामचन्द्र पुत्र जयराम त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि नहीं है तथा न ही वादी चैनाराम पुत्र जयराम एवं खातेदार रामचन्द्र पुत्र जयराम वस्तुतः एक ही व्यक्ति साबित होते है। अतः वाद वादी बखुबी साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी एवं गवाह साक्ष्य शपथपत्र आदि से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज रामचन्द्र पुत्र जयराम जाति माली एवं चैनाराम पुत्र जयराम जाति माली वस्तुतः एक व्यक्ति नहीं है तथा वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज रामचन्द्र पुत्र जयराम के नाम की प्रविष्टि किसी प्रकार से कोई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि नहीं है। अतः वाद वादी बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

डिक्री बमुकदर्मे इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. चैनाराम पुत्र जयराम जाति माली निवासी बलुन्दा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 114/2019
दिनांक :– 26.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री देवन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/07/2022 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	/
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	05-00	मिजानः–	–Nil–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह फरीकैन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:12 IST
Reason: SelfAttested